संयुक्त प्रान्त जिला बोर्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1926

{संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1926}

THE UNITED PROVINCES DISTRICT BOARDS PRIMARY EDUCATION ACT, 1926

[U.P. Act No. 1 of 1926]

संयुक्त प्रान्त जिला बोर्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिनियम, 1926[1]

{संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1926}

गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया (एडेप्टेशन ऑफ इण्डियन लाज) आर्डर, 1937 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

एडेप्टेशन ऑफ इण्डियन लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत।

गवर्नर ने 23 मार्च, 1926 तथा गवर्नर जनरल ने 21 अप्रैल, 1926 को स्वीकृत प्रदान की तथा गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट की धारा 81 के अधीन 8 मई 1926 को प्रकाशित[2] हुआ।

संयुक्त प्रान्त में जिला बोर्डों के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा के विस्तार की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

संयुक्त प्रान्त की यह घोषित नीति है कि बालकों और बालिकाओं के लिए सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था, उत्तरोत्तर प्रसार के निश्चित कार्यक्रम के द्वारा की जाय और यह इष्टकर है कि प्रारम्भिक शिक्षा के उत्तरोत्तर विकास और प्रसार की व्यवस्था की जाय;

अतः एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम, विस्तार और अर्थान्वयन

1–– (1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त जिला बोर्ड प्रारिम्भक शिक्षा अधिनियम, 1926 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार {उत्तर प्रदेश}[3] में जिला बोर्डों के क्षेत्राधिकार के अधीन सभी क्षेत्रों में होगा।

(3) इसका अर्थान्वयन ऐसे किया जायगा मानो वह यूनाइटेड प्राविन्सेज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, 1922 का, जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, अनुपूरक हो।

परिभाषाएं

2–– जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में –

(1) किसी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में ''उपस्थित होने'' का तात्पर्य ऐसे विद्यालय में शिक्षण के निमित्त वर्ष में ऐसे दिनों को, ऐसे समय या समयों पर तथा उपस्थिति के प्रत्येक दिन उतने घंटों के लिये, उपस्थित होने से है, जो बोर्ड द्वारा नियत किये जायं;

(2) ''बालक'' का तात्पर्य ऐसे बालक से है, जिसकी आयु छः वर्ष से कम और ग्यारह वर्ष से अधिक न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि जब ''बालक'' किसी मुसलिम बालिका के प्रति निर्देश करे तो उसका तात्पर्य ऐसे बालक से होगा, जिसकी आयु पांच वर्ष से कम और नौ वर्ष से अधिक न हो;

(3) ''माता–पिता'' के अन्तर्गत संरक्षक या कोई व्यक्ति, जिसकी वास्तविक अभिरक्षा या प्रभार में बालक हो, भी है;

(4) ''प्रारम्भिक शिक्षा'' का तात्पर्य पढ़ने, लिखने और गणित में ऐसे स्तर के शिक्षण से, जो {राज्य सरकार}[4] द्वारा तत्समय प्रारम्भिक विद्यालयों के लिये विहित किया जाय तथा अन्य विषयों में, यदि कोई हो, ऐसे शिक्षण से, जो विहित प्राधिकारी के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाय, है;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिए गजट 1925, खण्ड 8, पृष्ठ 805 देखिये।
2. गजट 1926, खण्ड 7, पृष्ठ 3–6 देखिये।
3. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइटेड प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

(5) ''मान्यताप्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय'' का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यालय या किसी विद्यालय के ऐसे विभाग से है, जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा में शिक्षण दिया जाता हो और जो लोक शिक्षा निदेशक[1] द्वारा तत्समय मान्यता प्राप्त हो;

(6) ''विद्यालय समिति'' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन नियुक्त की गयी समिति से है;

(7) ''विद्यालय क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जो बोर्ड द्वारा अनुरक्षित प्रारम्भिक विद्यालय से निकटतम मार्ग द्वारा एक मील की परिधि के भीतर पड़ता हो और बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्मिलित हो;

(8) ''तहसील क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जो किसी तहसील के अन्तर्गत आता हो और बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्मिलित हो;

(9) ''थाना क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जो किसी पुलिस थाने की सीमा के अन्तर्गत आता हो और बोर्ड की स्थानीय सीमाओं के भीतर सम्मिलित हो;

(10) ''गांव क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जो किसी गांव के अन्तर्गत आता हो।

प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाली अधिसूचना का जारी किया जाना

3–– (1) बोर्ड के आवेदन पर {राज्य सरकार}[2] अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि बोर्ड के सम्पूर्ण या किसी भाग में, उदाहरण स्वरूप किसी तहसील क्षेत्र, थाना क्षेत्र या गांव क्षेत्र[3] में पुरूष बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी।

(2) जहां किसी क्षेत्र में उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त हो, वहां राज्य सरकार, बोर्ड के आवेदन पर अधिसूचना जारी कर सकेगी कि ऐसे सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी।

(3) इस धारा के अधीन जारी की गई अधिसूचना में वह दिनांक, जिससे और वह क्षेत्र, जिसमें या वे क्षेत्र, जिनमें, प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य होगी, विनिर्दिष्ट होंगे तथा अधिसूचना की सार्वजनिक सूचना सम्बद्ध क्षेत्र या क्षेत्रों में स्थानीय रूप से दी जायगी।

(4) कोई बोर्ड, यदि उससे {राज्य सरकार}[2] ऐसा करने की अपेक्षा करे तो उतने समय के भीतर जो {राज्य सरकार}[2] द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा, ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसके बारे में {राज्य सरकार}[2] निदेश दे और या तो किसी भी लिंग के या दोनों लिंग के बालकों के सम्बन्ध में, जैसा भी {राज्य सरकार}[2] विनिर्दिष्ट करे, अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए योजना प्रस्तुत करेगा।

(5) यदि अपेक्षा की जाने पर बोर्ड योजना प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम करता है या योजना स्वीकृत हो जाने के पश्चात् यथास्वीकृत योजना के अनुसार अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने का या ऐसी योजना को प्रवर्तित करने का या उसको प्रवर्तन में बनाए रखने का लोप करता है तो {राज्य सरकार}[2] यथोचित जाँच के पश्चात्, यथास्थिति, योजना प्रस्तुत करने या उसे प्रवर्तित करने या प्रवर्तन में बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी और उसके व्यय का भुगतान बोर्ड {राज्य सरकार}[2] को करेगा। यदि व्यय का इस प्रकार भुगतान न किया जाए तो {राज्य सरकार}[2] किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में तत्समय बैंकर की हैसियत से या अन्य किसी हैसियत से कोई धन बोर्ड की ओर से हो, यह निदेश देने वाला आदेश कर सकेगी कि वह ऐसे धन में से, जो उसके हाथ में हो या जिसे वह समय–समय पर प्राप्त करे, उस व्यय का भुगतान करे और वह व्यक्ति, ऐसे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य होगा।

---

1. प्र0 शिक्षा निदेशक।
2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।
3. इस उपधारा की घोषणा के लिए एस0आर0ओ0 देखिए।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए बोर्ड द्वारा व्ययवस्था किया जाना

4–– धारा 3 के अधीन अधिसूचना उस समय तक जारी नहीं की जायगी जब तक कि (क) बोर्ड ने विशेष संकल्प द्वारा, जो बोर्ड को संघटित करने वाले, कुल सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों के मत द्वारा पारित किया गया हो, यह संकथ्पत न किया हो कि ऐसी प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय और (ख) {राज्य सरकार}[1] का यह समाधान न हो जाय कि बोर्ड मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालयों में ऐसी निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने की स्थिति में है और वह इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करेगा।

अधिसूचना जारी करने के लिए आवेदन

5–– धारा 3 के अधीन बोर्ड द्वारा आवेदन उस रीति से किया जायगा, जो {राज्य सरकार}[1] विहित करे तथा बोर्ड आवेदन के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी देगा, जो {राज्य सरकार}[1] द्वारा अपेक्षित हो।

विद्यालय समिति की नियुक्ति

6–– (1) जहां कि धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी की गई हो, वहां बोर्ड इस अधिनियम के अधीन विद्यालय समिति की शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के प्रयोजनार्थ एक या अधिक समितियां नियुक्त करेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी विद्यालय समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह बालकों की विद्यालय में उपस्थिति तथा बालकों के सेवायोजन के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करे।

बालकों को विद्यालय में उपस्थित कराने का माता–पिता का कर्तव्य

7––जहां कि धारा 3 के अधीन की अधिसूचना किसी क्षेत्र में प्रवृत्त हो, वहां प्रत्येक ऐसे बालक के माता–पिता का जिस पर अधिसूचना लागू है, उस दशा में जब वह बालक ऐसे क्षेत्र में साधारणतः निवास करता है, यह कर्तव्य होगा कि वे, जब तक कि एतत्पश्चात् परिभाषित कोई उचित कारण न हो, ऐसे बालक को किसी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में उपस्थित करायें।

उचित कारण का अर्थ

8–– निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति को धारा 7 के अर्थ में उचित कारण समझा जायगा :–

(1) कि किसी ऐसी दूरी के भीतर, जो विद्यालय समिति द्वारा निश्चित की जाएगी और बालक के निवास स्थान से निकटतम मार्ग से नापी जाएगी, किसी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में स्थान नहीं है;

(2) कि बालक को विद्यालय समिति द्वारा धार्मिक कारणों के आधार पर अवमुक्त कर दिया गया है;

(3) कि बालक किसी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करले से अन्यथा किसी सन्तोषजनक रीति से शिक्षा प्राप्त कर रहा है;

(4) कि बालक के सम्बन्ध में ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो बोर्ड द्वारा तदर्थ नियुक्त किया जाय, यह प्रमाणित कर दिया गया है कि उसने प्रारम्भिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है;

(5) कि बालक को इस अधिनयम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार विद्यालय से अस्थायी अनुपस्थिति छुट्टी प्रदान की गई है;

(6) कि बोर्ड द्वारा इस प्रयोजनार्थ अनुमोदित किसी चिकित्सा अधिकारी ने यह प्रमाणित किया है कि बालक किसी शारीरिक दोष या अशक्तता के कारण विद्यालय में उपस्थित होने के योग्य नहीं है;

(7) कि बालक विहित प्राधिकारी की सहमति से विद्यालय समिति द्वारा ऐसे विशेष कारणों से जिन्हें उसने लेखबद्ध किया हो, अवमुक्त कर दिया गया है।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

विद्यालय समिति द्वारा उपस्थिति आदेश का जारी किया जाना

9–– यदि विद्यालय समिति का समाधान हो जाय किसी माता–पिता ने, जो धारा 7 के उपबन्धों के अधीन किसी बालक को किसी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में उपस्थित कराने के लिए बाध्य हों, ऐसा नहीं किया है तो विद्यालय समिति माता–पिता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी जाँच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, उन्हें बालक की किसी मान्यताप्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में ऐसे दिनांक से, जिसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जायगा, उपस्थित कराने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगी।

उपस्थिति आदेश का पालन न करने के लिए शास्ति

10––(1) कोई माता–पिता, जिनके विरूद्ध धारा 9 के अधीन कोई आदेश किया गया हो और जिन्होंने धारा 8 में यथापरिभाषित किसी उचित कारण के बिना ऐसे आदेश का पालन न किया हो, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने के, जो पांच रूपए से अधिक न होगा, भागी होंगे।

(2) कोई माता–पिता, जो उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराए जाने पर भी, धारा 9 के अधीन किए गए आदेश की अवज्ञा करते रहेंगे, वे अतिरिक्त जुर्माने के, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् उस प्रत्येक दिवस के लिए, जिसके दौरान, उनका आदेश की अवज्ञा करते रहना, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष की गई किसी पश्चात्वर्ती कार्यवाही में, साबित हो जाय, एक रूपये से अधिक न होगा, भागी होंगे।

प्रारम्भिक विद्यालय में उपस्थित होने के दायी बालकों को सेवायोजित करने के लिए शास्ति

11–– माता–पिता से भिन्न कोई व्यक्ति, जो विद्यालय में उपस्थिति के लिए विहित समय के दौरान अपनी ओर से या किसी अन्य व्यक्ति की और से किसी सेवायोजन के सम्बन्ध में, चाहे वह पारिश्रमिक के लिए हो या न हो, किसी ऐसे बालक की सेवाओं का उपयोग करेगा, जिसके माता–पिता इस अधिनियम के अधीन उसे किसी मान्यता प्राप्त प्रारम्भिक विद्यालय में उपस्थित कराने के लिए बाध्य हों, किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर जुर्माने के, जो पच्चीस रूपए से अधिक न होगा, भागी होंगे।

अपराधों का संज्ञान और शमन की शक्ति

12–– (1) कोई भी न्यायालय के धारा 10 या धारा 11 के अधीन के किसी अपराध का संज्ञन विद्यालय समिति के अथवा ऐसे व्यक्ति के, जिसे विद्यालय समिति, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, तदर्थ प्राधिकृत करे, परिवाद पर या उससे प्राप्त जानकारी पर, करने के सिवाय न करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि विद्यालय समिति या तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन–संस्थित करने से पूर्व उसे लिखित चेतावनी दिलवाएगा।

(2) विद्यालय समिति या तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति, किसी अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने या चालू रखने के स्थान पर उसका शमन, उस अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति द्वारा, ऐसे जुर्माने की रकम से, जिससे वह अपराध इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है, अनधिक उतनी धनराशि के भुगतान पर कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

किसी विशेषवर्ग या समुदाय को अवमुक्त करने की शक्ति

13–– {राज्य सरकार}[1] बोर्ड द्वारा तदर्थ व्यक्त किए गए किसी दृष्टिकोण पर विचार करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, किसी विशेष वर्ग या समुदाय को इस अधिनियम के प्रवर्तन से अवमुक्त कर सकेगी।

फीस की छूट

14–– किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें धारा 3 के अधीन की अधिसूचना प्रवृत्त हो, किसी ऐसे बालक के सम्बन्ध में, जो किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में अनिवार्यतः उपस्थिति रह रहा हो, प्रारम्भिक शिक्षा के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

जुर्मानों का बोर्ड की निधि में जमा किया जाना

15–– इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शमन द्वारा { ***}[1] वसूल की गई सभी धनराशियाँ बोर्ड की निधि में जमा की जाएगी।

व्यतिक्रम होने पर अधिसूचना का वापस लिया जाना

16–– जब राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी बोर्ड में इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के सम्बन्ध में व्यतिक्रम किया है तो वह बोर्ड को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर देने के पश्चात्, धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना रद्द कर सकेगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

17–– (1) {राज्य सरकार}[2] पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना {राज्य सरकार}[2] निम्नलिखित के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी –

(क) धारा 2 के खण्ड (4) और धारा 8 के खण्ड (7) में उल्लिखित प्राधिकारियों को विहित करना;

(ख) धारा 2 के खण्ड (4) के अधीन प्रारम्भिक विद्यालयों में शिक्षण का स्तर विहित करना;

(ग) धारा 3 के अधीन बोर्ड द्वारा किए जाने वाले आवेदन की रीति तथा ऐसे आवेदन में दी जाने वाली विशिष्टियां विहित करना;

(घ) सामान्यतः यह अवधारित करना कि निःशुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था क्या समझी जायगी;

(ङ) बोर्ड से अपेक्षा करना कि वह बोर्ड के सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग में बालकों का रजिस्टर तैयार और प्रकाशित करे;

(च) वे शर्तें सुनिश्चित करना, जिन पर {राज्य सरकार}[2] प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करने की लागत के अंश का वहन करेगी;

(छ) बोर्ड से अपेक्षा करना कि वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई तथा प्रगति दिखाने वाली ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करे, जो {राज्य सरकार}[2] ठीक समझे; और

(ज) प्रत्येक परिक्षेत्र में विभिन्न समुदायों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का यथोचित ध्यान रखते हुए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शर्तें तथा अर्हताएं अधिकथित करना।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा शब्द (आन कनविक्शन वार) निकाले गये।

2. एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1950 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लॉज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति

18–– {राज्य सरकार}[1] की पूर्व मंजूरी से कोई बोर्ड, जिसके क्षेत्र में धारा 3 के अधीन की अधिसूचना प्रवृत्त हो, निम्नलिखित विहित करने वाले विनियम, जो इस अधिनियम से संगत हो, बना सकेगा ––

(क) निर्धन माता–पिता के पुत्र, पुत्रियों को निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों तथा शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं की सम्पूर्ति;

(ख) वह रीति, जिसके अनुसार विद्यालय समिति संघटित की जाएगी, उसका क्षेत्राधिकार, उसके सदस्यों की संख्या तथा उनके कर्तव्य, शक्तियां और उत्तरदायित्व;

(ग) वह कार्रवाई, जो विद्यालय समिति विद्यालय में बालकों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए कर सकेगी तथा वे शर्तें, जिन के अधीन विद्यालय से अनुपस्थिति छुट्टी अनुज्ञात की जा सकेगी;

(घ) जहां एक से अधिक विद्यालय समितियां नियुक्त की गई हों, वहां प्रत्येक विद्यालय समिति का क्षेत्राधिकार;

(ङ) वे सम्बन्ध, जिनका विद्यालय समिति तथा किसी ऐसी शिक्षा समिति के, जो मूल अधिनियम के अधीन नियुक्त की गई हो, बीच अनुपालन किया जाना होगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

19–– {राज्य सरकार}[1], इस अधिनियम के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं करेगी।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित, जो एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1937 द्वारा (लोकल गवर्नमेन्ट) के लिए प्रतिस्थापित किया गया था।

THE UNITED PROVINCES DISTRICT BOARDS PRIMARY EDUCATION ACT, 1926[1]

[U. P. Act No. I of 1926]

Adapted and modified by the Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order,

Adapted and modified by the Adaptation of Laws Order 1950

[Received the assent of the Governor on March 23, 1926 and of the Government General April 21, 1926 and was published[2] under section 81 of the Government of India Act on May 8, 1926.

AN

ACT

to provided for the extension of primary education in rural areas under district boards in the United Provinces

Whereas it is the declared policy of the Government of the United Provinces that universal, free and compulsory primary education for boys and girls should be reached by a definite programme of progressive expansion, and whereas it is expedient to provide for a progressive development and expansion of primary education;

It is hereby enacted as follows:

Short title extent and construction

1. (1) This Act may be called the United Provinces District Boards Primary Education Act, 1926.

(2) It extends to all the areas under the jurisdiction of the district boards in [Uttar Pradesh][3];

(3) It shall be construed as supplementary to the United Provinces District Boards Act, 1922 hereinafter called the principal Act.

Definitions U.P. Act No. 10, 1922

2. In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or contest---

(1) "to attend" a recognized primary school means to be present for instruction at such school, on such days in the year, at such time or times, and for so many hours on each day of attendance, as may be fixed by the board;

(2) "child" means a child whose age is not less than six and not more than eleven years:

Provided that "child" when referring to a Muslim girl, shall mean a child whose age is not less than five and not more than nine years;

(3) "parent" includes a guardian or any person who has the actual custody or is in charge of a child ;

(4) "primary education" means instruction in reading, writing and arithmetic of such standard as may be prescribed for primary schools by the [State Government][4], and such instruction in other subjects, if any, may be determined by the board With the approval of the prescribed authority ;

---

1. S. O. R. see Gazette 1925, Pt. VIII, p. 805.
2. See Gazette 1926, Pt. VII, pp. 3·6.
3. Subs. by the A. O. 1950 for (United Provinces).
4. Sobs. by ibid A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. 0. 1937 for (L. G.).

(5) "recognized primary school" includes a school or a department of a school in which instruction in primary education is given and which is for the time being recognized by the Director of Public Instructions[1];

(6) "school committee" means a committee appointed under the provisions of section 6 of this Act ;

(7) "school area" means the area within a radius of one mile by the nearest route from a primary school maintained by the board and included within the local limits of a board;

(8) "tahsil area" means the area comprised in a tahsil and included within the local limits of a board;

(9) "thana area" means the area comprised in the limits of a police station and included within the local limits of a board;

(10) "village area" means the area comprised in a village.

Issue of notification waking primary education compulsory

3. (1) On the application of the board the [State Government][2] may declare, by notification, that the primary education of make children shall be compulsory in the whole of the board's area or in any part thereof, or example, in any tahsil area, thana area, school area or village area[3].

(2) Where a notification issued under sub-section (1) is in force in any area the [State Government][2] may, on the application of the board, issue a notification that the primary education of female children shall be compulsory in the whole or any part of such area.

(3) A notification issued under this section shall specify the date from which, and the area or areas in which, primary education shall be compulsory, and public notice shall be given of the notification locally in the area or areas concerned.

(4) A board, if called upon by the [State Government][2] so to do, shall, within a time to be specified by the [State Government][2] submit a scheme to provide compulsory primary education in such area as the [State Government][2] may direct, and in the case of children of either sex or both sexes as the [State Government][2] may specify.

(5) If a board when called upon makes default in submitting a scheme or after a scheme has been sanctioned, omits to make adequate provision for compulsory primary education in accordance with a scheme as sanctioned or to bring into operation or to continue to keep in operation such scheme, the [State Government][2] may, after due inquiry, appoint a person to submit the scheme or to bring it into operation or to continue to keep it in operation, as the case may be, and the expense thereof shall be paid by the Board to the [State Government][2] If the expense is not so paid, the [State Government][2] may make an order directing any person who has, for the time being, custody of any moneys on behalf of the board as banker or in any relation, to pay such expense from such moneys as he may have in his hands or may from time to time receive, and such person shall be bound to obey such order.

---

1. Now Director of Education.
2. Subs, by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. 0: 1937 for (L. G.).
3. For declaration under this subs. consult S.O.R.

Board to make provision for primary education

4. A notification shall not be issued under section 3 unless (a) the board has, by special resolution which has been passed by a vote of not less than one-half of the total number of members constituting the board, resolved that such primary education should be made compulsory, and (b) the [State Government][1] is satisfied that the board is in a position to make, and will make adequate provision in recognized primary schools for such compulsory primary education free of charge.

Application for issue of notification

5. An application by the board under section 3 shall be made in such manner as may be prescribed by the [State Government][1] and the board shall furnish such information in respect of the application as may be required by the [State Government][1].

Appointment of school committee

6. (1) Where a notification has been issued under section 3, the board shall appoint one or more committees for the purpose of exercising the powers and performing the duties of the school committee under this Act.

(2) It shall be the duty of such school committee, subject to the provisions of this Act, to enforce the provisions of this Act respecting the attendance of children at school and the employment of children.

Duty of parents to cause children to attend school

7. Where a notification under section 3 is in force in any area, the parent of every child to whom the notification applies shall, if such child ordinarily resides in such area, in the absence of a reasonable excuse as hereinafter defined, cause such child to attend a recognized primary school.

Meaning of reasonable excuse

8. Any of the following circumstances shall be deemed to be reasonable excuse within the meaning of section 7.

(1) that there is no accommodation in a recognized primary school within a distance to be fixed by the school committee and measured according to the nearest route from the residence of the child ;

(2) that the child has been exempted by the school committee on religious grounds;

(3) that the child is receiving otherwise than in a recognized primary school, primary education in a-satisfactory manner;

(4) that the child is certified by such authority as may be appointed in this behalf by the board to have completed the primary course;

(5) that child has been granted temporary leave of absence from school, in accordance with regulations, made under this Act by the board ;

(6) that the child is certified by a medical officer approved for this purpose by the board to be unfit to attend school by reason of some bodily defect or infirmity;

(7) that the child has, with the consent of the prescribed authority, been exempted by the school committee for special reasons recorded by it in writing.

---

1. Subs, by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been subs. by the A. 0: 1937 for (L. G.).

Issue of attendance order by the school committee

9. When the school committee is satisfied that a parent who is bound under the provisions of section 7 to cause a child to attend a recognized primary school, has failed to do so, the school committee after-giving the parent an opportunity of being heard, and after such inquiry as it considers necessary, may pass an order directing the parent to cause such child to attend a recognized primary school from a date which shall be specified in the order.

Penalty for failure to obey attendance order

10. (1) Any parent against whom an order has been passed under section 9, and who without reasonable excuse as defined in section 8 has failed to obey such order, shall on conviction before a magistrate be liable to a fine not exceeding five rupees.

(2) Any parent who having been convicted of an offence under sub-section (1) continues to disobey the order passed under section 9 shall be liable to a further fine not exceeding one rupee for every day, after the date of the first conviction, during which he is proved in a subsequent proceeding taken before a magistrate to have persisted in disobeying the order.

Penalty for employing child liable to attend primary school

11. Any person other than the parent who, during the prescribed hours of attendance at school, utilizes on his own behalf or on behalf of any other person, in connexion with any employment, whether for remuneration or not, the services of any child whose parent in required under this Act to cause him to attend a recognized primary school, shall, on conviction before a magistrate, be liable to a fine not exceeding twenty-five rupees.

Cognizance of offence and power to compound

12. (1) No court shall take cognizance of an offence under section 10 or section 11 except on the complaint of or on information or received from the school committee or from such person as may be authorized by the school committee by general or special order in this behalf :

Provided that the school committee or the person authorized in this behalf shall, before instituting any prosecution again that any person, cause a warning to be given to him-in-writing.

(2) The school committee or the person authorized in this behalf may, instead of instituting or continuing prosecution for an offence, compound the same on the payment by the person accused of such offence of such sum as it deems proper not exceeding the amount, of the fine with which such offence is punishable, under this Act.

Power to exempt particular class or community

13. The [State Government][1] after taking into consideration any views expressed by the board in this behalf, may, by notification, exempt any particular class or community from the operation of this Act.

Remission of feed

14. No fee for primary education shall be charged respect of any child compulsorily attending a recognized primary school within an area in which a notification under section 3 is in force.

---

1. Subs. by the A. 0.1950 for (Provincial Government) which had been substituted by A. O. 1937 for (L. G).

Fines to be credited to boards fund

15. All Sums, realized [* * *][1] by way of composition under the provisions of this Act shall be credited to the board's fund.

Withdrawal of notification on default

16. When the [State Government][2] is of opinion that default has been made by any board in respect of its duties under this Act it may, after giving the board, an opportunity of furnishing an explanation, cancel the notification issued under section 3.

Power of state Government to make rules

17. (1) The [State Government][2] may, after previous publication make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the Power reoffered by sub-section (1) the [State Government][2] may make rules---

(a) prescribing the authorities mentioned in clause (4) of section 2 and clause (7) of section 8;

(b) prescribing under clause (4) of section 2 the standard of instruction in primary schools;

(c) prescribing the manner is which application may be made by the board under section 3 and the particulars to be stated in such application;

(d) determining generally what shall be considered to be adequate provisions for compulsory primary education free of charge;

(e) requiring the board to prepare and publish a, register of children in the whole or in any part of the boards area ;

(f) defining the conditions on which the [State Government][2] will beat a share of the cost of providing primary education;

(g) requiring the board to submit such returns as the [State Government][2] may think fit showing, the action taken and progress made by the board under this Act; and

(h) laying down the conditions of and qualifications for the appointment of teachers With due regard to the educational, needs of different communities in every locality,

---

1. The words (on conviction or) omitted by A. O. 1937.
2. Subs, by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been substituted by the A. O. 1937 for (L. G.).

Power of board to make regulations

18. With the previous sanction of the [State Government][1] a board in the area of which a notification under section 3 is in force may make regulations consistent with this Act, prescribing-

(a) the supply of text books and educational requisites to the children of indigent parents free of charge ;

(b) the manner in which the school committee shall be constituted, its jurisdiction, the number of its members, and their duties, powers and responsibilities;

(c) the steps which the school committee may take to secure the attendance of children at school, and the conditions under which leave of absence from school may be allowed;

(d) the jurisdiction of each school committee where more school committees than one are appointed;

(e) the relations to be observed between the school committee and any education committee that may have been appointed under the principal Act.

Delegation of powers

19. The [State Government][1] shall not delegate its powers under this Act.

---

1. Subs. by the A. O. 1950 for (Provincial Government) which had been substituted by the A. O. 1937 for (L. G.)